

**पोस्टल बैलट फॉर्म / POSTAL BALLOT FORM**

(इस फॉर्म को भरने से पहले पीछे मुद्रित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)  
(Please read the instructions printed overleaf carefully before completing this form)

संदर्भ सं/Sr. No.

1. एकमात्र / पहले शेयरधारक का नाम एवं पता:  
Name & Address of the Sole/First Shareholder:
2. पंजीकृत फोलियो संख्या / डीपी-ग्राहक आईडी  
Registered Folio Number/DP-Client ID:
3. धारित शेयरों की संख्या / Number of Shares held:
4. मैं / हम पोस्टल बैलट के द्वारा पारित किए जाने वाले विशेष संकल्प के संदर्भ में अपना वोट देते हैं जो कि बैंक के दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के पोस्टल बैलट नोटिस में उल्लिखित कार्य के लिए है तथा इस संबंध में, मैं / हम कथित संकल्प के बारे में अपनी सहमति या असहमति नीचे दिये गए उचित कॉलम में (✓) चिन्ह लगाकर करते हैं.  
I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed through Postal Ballot for the businesses stated in the Postal Ballot Notice dated 9<sup>th</sup> October, 2019 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (✓) mark at the appropriate column below:

मद सं. Item No.	विवरण Description	दिए जाने वाले वोट के लिए शेयरों की संख्या No. of Shares for which votes cast	संकल्प के लिए मेरी / हमारी सहमति (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (FOR)	संकल्प के लिए मेरी / हमारी असहमति (विपक्ष में ) I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	<p><b>विशेष संकल्प</b></p> <p>सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित) पर नकदी हेतु भारत सरकार को अधिमान आधार पर कुल रु. 11,768 करोड़ के अपेक्षित संख्या में प्रत्येक रु.10/- (रुपए दस मात्र) अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन हेतु.</p> <p><b>Special Resolution</b></p> <p>To create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of Rs. 10/- each (Rupees Ten only) to Government of India aggregating to Rs. 11,768 Crore for cash on Preferential Basis at an issue price (inclusive of premium) to be determined in accordance with regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018.</p>			

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

शेयरधारक के हस्ताक्षर / Signature of Shareholder

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कृपया नोटिस में संलग्न निर्देशों का संदर्भ लें./For Electronic Voting, please refer the instructions in the Notice attached herewith.

संवीक्षक द्वारा पोस्टल बैलट फॉर्म प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख : मंगलवार, 12 नवंबर, 2019 को शाम 5.00 बजे तक

Last date for Receipt of Postal Ballot Form by the Scrutinizer: By 5.00 PM on Tuesday, 12<sup>th</sup> November, 2019

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग विवरण / ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

ईवीईएन EVEN	यूजर आईडी USER ID	पासवर्ड / पिन PASSWORD / PIN

## निर्देश / INSTRUCTIONS

1. यदि कोई शेयरधारक अपना वोट पोस्टल बैलट द्वारा करने का इच्छुक है तो वह पोस्टल बैलट फॉर्म भरकर संवीक्षक को सेल्फ एड्रेस पोस्टेज पूर्व भुगतान किए गए लिफाफे में भेजे। पोस्टल बैलट वाले लिफाफे, यदि सदस्य के व्यय पर व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है या कूरियर द्वारा भेजा जाता है तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा।
2. यह फॉर्म सही ढंग से भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए (बैंक/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटस में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार)। यदि संयुक्त धारक हैं तो यह फॉर्म प्रथम नाम वाले सदस्य द्वारा भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा उसकी अनुपस्थिति में दूसरे नाम वाले सदस्य द्वारा।
3. यदि शेयरधारक कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी आदि हैं तो सही प्रकार से भरे हुए पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकृत किए जाने की प्रति संलग्न होनी चाहिए। यदि फॉर्म भारत सरकार के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना है तो पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ नामांकन की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
4. यदि अपनी सहमति दर्ज करनी है तो निर्धारित 'पक्ष' कॉलम में तथा असहमति दर्ज करनी हो तो 'विपक्ष' कॉलम में ही (✓) चिन्ह लगाया जाना चाहिए।
5. अहस्ताक्षरित, अपूर्ण या दोषपूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
6. यह आवश्यक नहीं कि कोई शेयरधारक अपने सभी वोट का प्रयोग करे अथवा सभी वोट एक ही तरीके से करे।
7. पूर्ण रूप से भरे हुए पोस्टल बैलट फॉर्म संवीक्षक के पास अंतिम तारीख यानि **मंगलवार, 12 नवम्बर, 2019** को कार्यालय समय अर्थात शाम **5.00 बजे** तक पहुँच जाने चाहिए। इस अंतिम तारीख के बाद प्राप्त ऐसे सदस्यों के पोस्टल बैलट फॉर्म के बारे में ऐसा मान लिया जाएगा कि वे प्राप्त नहीं हुए हैं।
8. यदि आवश्यकता हुई तो कोई शेयरधारक पोस्टल बैलट फॉर्म की दूसरी प्रति के लिए अनुरोध कर सकता है। फिर भी, विधिवत भरी हुई पोस्टल बैलट फॉर्म की दूसरी प्रति कॉलम सं. 7 में निर्धारित अंतिम तारीख तक संवीक्षक के पास पहुँच जानी चाहिए।
9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि सेल्फ एड्रेस पोस्टेज पूर्व भुगतान किए गए लिफाफे में पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ अन्य किसी प्रकार के कागजात न संलग्न करें।
10. निर्दिष्ट तारीख यानि **बुधवार, 9 अक्टूबर, 2019** की स्थिति में शेयरधारकों के नाम पर प्रदत्त पंजीकृत शेयरों के अनुसार ही वोटिंग अधिकार तय किया जाएगा।
11. पोस्टल बैलट फॉर्म की वैधता के बारे में संवीक्षक का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
12. पोस्टल बैलट द्वारा किए गए वोटिंग के परिणाम **गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019** तक या उससे पूर्व घोषित कर दिया जाएगा तथा इसे बैंक के केंद्रीय कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज, बैंक के वेबसाइट पर एवं ई-वोटिंग एजेंसी को दी जाएगी।
13. ई-वोटिंग : सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा इसमें लिखित नियमों के अनुपालन में ई-वोटिंग के तहत बैंक (एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से) विकल्प के रूप में शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटिंग करने की ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रदान करता है जिससे उन्हें भौतिक फॉर्म भेजना न पड़े। यह नोट करें कि यदि शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोटिंग का चयन करता है तो उसे भौतिक रूप से वोटिंग फॉर्म भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई शेयरधारक दोनों माध्यमों से वोटिंग करते हैं यानि ई-वोटिंग और भौतिक वोटिंग फॉर्म से ई-वोटिंग को वैध माना जाएगा और शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत भौतिक वोटिंग फॉर्म को अवैध माना जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग के संबंध में दिए गए विस्तृत निर्देशों के लिए नोटिस और उसमें दी गई टिप्पणियों का संदर्भ लें।
1. A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expense of the Member will also be accepted.
2. This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank/Depository Participants). In case of joint holding, this Form should be completed and signed by the first named Member and in his absence, by the next named Member.
3. In case of shares held by companies, trusts, societies etc., the duly completed Postal Ballot Form should be accompanied by a certified true copy of Board Resolution/Authorisation. Where the form has been signed by a representative of the President of India or of the Governor of a State, a certified copy of the nomination should be attached with the Postal Ballot Form.
4. The consent must be accorded by recording the assent in the Column 'FOR' and dissent in the column 'AGAINST' by placing a tick mark (✓) in the appropriate column.
5. Unsigned, incomplete or defective Postal Ballot Forms are liable to be rejected.
6. A Shareholder need not use all the votes nor needs to cast all the votes in the same way.
7. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e. **5.00 p.m. on Tuesday, 12<sup>th</sup> November, 2019**. All Postal Ballot Forms received after this date will be treated as if reply from such Member has not been received.
8. A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the date specified at item No. 7 above.
9. Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed postage pre-paid self addressed envelope.
10. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Shareholders on the cut off date i.e. **Wednesday, 9<sup>th</sup> October, 2019**.
11. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final.
12. The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before **Thursday, 14<sup>th</sup> November, 2019** and displayed on the Notice Board of the Bank at its Central Office, intimated to the stock exchanges, hosted on the website of the Bank and E-Voting Agency.
13. E-VOTING: in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereto, the Bank is pleased to provide E-voting facility (through e-voting platform of NSDL) as an alternate which would enable the Shareholders to cast votes electronically, instead of sending Physical Ballot Form. Please note that E-voting is optional. In case a Shareholder has voted through E-voting facility, he/she is not required to send the Physical Ballot Form. In case Shareholder(s) cast their votes via both modes i.e. Physical Ballot as well as E-voting, then voting done through E-voting shall prevail and Physical Voting of that shareholder shall be treated as invalid. Shareholders are requested to refer to the Notice and notes there to, for detailed instructions with respect to e-voting.